



सत्यमेव जयते



आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

सं. 11034/04/2024-राजभाषा(नीति)

दिनांक 03.07.2024

आदरणीय महोदय / महोदया

**विषय: 14-15 सितंबर, 2024 को भारत मंडपम्, नई दिल्ली में हिंदी दिवस और चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के आयोजन के संबंध में।**

संविधान सभा ने 14 सितंबर, 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया और तब से इस दिवस को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में संघ से यह अपेक्षा की गई है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। संविधान की इसी भावना के अनुरूप गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग हिंदी दिवस एवं अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन करता है।

2. माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के मार्गदर्शन में राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी दिवस-2023 एवं तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का भव्य आयोजन पुणे, महाराष्ट्र में किया गया था। दो दिवसीय इस अत्यंत सफल आयोजन में देश भर के लगभग 10 हजार हिंदी सेवियों ने प्रतिभागिता की। पिछले वर्षों की भाँति इस वर्ष भी हिंदी दिवस एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का संयुक्त आयोजन अत्यंत भव्य एवं गरिमामयी रूप में किया जाएगा। **माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी की अध्यक्षता में 14 सितंबर, 2024 को हिंदी दिवस तथा 14 एवं 15 सितंबर, 2024 को चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का सम्मिलित आयोजन भारत मंडपम्, नई दिल्ली में होगा।**

3. इसके अतिरिक्त, आपसे अनुरोध है कि अपने मंत्रालय/विभाग में हिंदी माह/पखवाड़ा पूरे उत्साह से मनाएं। इस दौरान सभी अधिकारियों/कार्मिकों को प्रेरित एवं प्रोत्साहित करें कि वे केवल अनुवाद पर निर्भर न रहकर अपना अधिक से अधिक कामकाज मूलरूप से राजभाषा हिंदी में करें। इस अवधि के दौरान, राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराएं। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि यथासंभव आपके मंत्रालय/विभाग के प्रत्येक कार्यालय में हिंदी दिवस का शुभारंभ 14 सितंबर 2024 को भारत मंडपम्, नई दिल्ली में हो और समापन संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में हो।

4. इस अवधि के दौरान सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अपने कार्मिकों को राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, राजभाषा संकल्प, 1968 सहित राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर संघ की राजभाषा नीति से संबंधित जारी दिशा-निर्देशों से अवगत करवाया जाए। सभी अधिकारियों/कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे राजभाषा विभाग की वेबसाइट [www.rajbhasha.gov.in](http://www.rajbhasha.gov.in) पर जाकर हिंदी शब्द सिंधु, ई-पत्रिका पुस्तकालय एवं ई-सरल हिंदी वाक्यकोश जैसे आईटी टूल्स का भरपूर लाभ उठाएं। इसके अलावा अधिकारियों/कार्मिकों को स्मृति आधारित स्वदेशी अनुवाद सॉफ्टवेयर 'कंठस्थ 2.0' के अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार, केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रमुख का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम, नियम तथा इनके अंतर्गत समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराए।

.....जारी

5. आपसे अनुरोध है कि अपने मंत्रालय/विभाग के राजभाषा से जुड़े सभी अनुवाद अधिकारियों एवं मंत्रालय के कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नई दिल्ली में होने वाले हिंदी दिवस एवं चतुर्थ अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होने का निर्देश दें। कृपया सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों/बोर्डों/ निगमों आदि को भी ऐसे ही निर्देश मंत्रालय की ओर से जारी किए जाएं। उनके राजभाषा हिंदी से जुड़े अधिकारी भी अनिवार्य रूप से 14-15 सितंबर, 2024 को भारत मंडपम्, नई दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में सहभागिता सुनिश्चित करें।

साथ

शुभेच्छु  
अं आर्या  
(अंशुली आर्या)

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव